

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम रायला तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी - श्री संजय माथुर

(आर.ए.एस.)

52/2015

उनवान

1. रामलाल पिता अमरचन्द मेघवंशी नि० महावीर मार्ग सोलंकी टाकिज शास्त्रीलगी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. दिनेश पिता विजेश्वर व्यास निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पिता बालुराम सुथार निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. नुकेश पिता शंकर सुथार निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. रामपाल पिता शंकर सुथार निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. सीता पिता महावीर सुथार निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 24.05.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय में दिनांक 16.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत् 2069 से 2072 की मालिकी अनुसार वाके ग्राम रायला पटवार क्षेत्र रायला भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा की वि० भूमि खाता संख्या 1215 के आ०न० 2386 रकबा 02-00 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन आने संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम रायला में दिनांक 24.05.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं उठाया जाता बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का आनपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम रायला पटवार क्षेत्र रायला भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 1215 के आ०न० 2386 रकबा 02-00 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू०अ०नि० की कमिश्नर फीस 300/- रुपये पत्थरगढ़ी के सम्य नौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प रायला में सरे इजलास सुनाया गया।

  
(संजय माथुर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
जिला भीलवाड़ा (राज.)